

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम
(बिहार सरकार का उपक्रम)
कौटिल्य नगर, पटना-800014.

ई0 सपलेश्वर मंडल
मुख्य अभियन्ता



दूरभाष (कार्यालय) : 0612-2223727
फैक्स : 0612-2224529
मेबाईल : 9471006801

संचिका संख्या :-Reg- 1/2210

पटना, दिनांक :- 22/06/2023

कार्यालय आदेश- 229/2023

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम अन्य कार्यों के अतिरिक्त ई-निविदा सूचना सं0-05/SBD/2022-23 के माध्यम से जमुई जिलान्तर्गत एस0सी0/एस0टी0 एवं महिला थाना का संयुक्त भवन with flat के Barrack Accommodation building (G+3) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी।

1. ई-निविदा की कंडिका-35 में निम्न शर्तें अंकित थी :-
"निविदा में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समान प्रकृति के कार्य कराने का अनुभव, साक्ष्य सहित संलग्न (अपलोड) करने वाले संवेदक का ही निविदा मान्य होगा।"
2. ई-निविदा सूचना सं0-05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि-23.06.2022 से 30.06.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की गयी थी।
3. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक-एच0क्यू0 1785 दिनांक- 23.06.2022 के द्वारा ई-निविदा सूचना सं0-05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि-29.06.2022 से 07.07.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक विस्तारित की गयी।
4. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक-एच0क्यू0 1853 दिनांक- 28.06.2022 के द्वारा पुनः ई-निविदा सूचना सं0-05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि-12.07.2022 से 21.07.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक विस्तारित की गयी।
5. उक्त ई-निविदा सूचना सं0-05/SBD/2022-23, क्रम सं0-19 जमुई जिलान्तर्गत एस0सी0/एस0टी0 एवं महिला थाना का संयुक्त भवन with flat के Barrack Accommodation building (G+3) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिये 09 संवेदकों के द्वारा यथा-युनिवर्सल एग्री कॉरपोरेशन लि0, 2. सुदेश कुमार सिंह एण्ड को कंस्ट प्रा0 लि0, 3. मे0 एक्वेरियम कंस्ट्रक्सन प्रा0 लि0, 4. अशोक एण्ड को निवास प्रा0 लि0, 5. कौशलेंद्र कुमार, 6. राना कंस्ट्रक्सन, 7. गोपाल कुमार, 8. लाल रूपक कुमार सिंह, एवं 9. त्रिभुवन कंस्ट्रक्सन के द्वारा निविदा समर्पित की गयी।

6. युनिवर्सल एग्रो कॉरपोरेशन लि० द्वारा ई-निविदा की कंडिका-35 के शर्त के अनुपालन में कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (Performance Certificate) के रूप में Managing Director, कार्यालय, दि झारखण्ड स्टेट आदिवासी को-ऑपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन लि० (वेजफेड), राँची, अरसण्डे, बोड़ैया, कॉके, राँची 834006 द्वारा निर्गत पत्रांक-208/वेजफेड, राँची दिनांक-10.05.2022 समर्पित की गयी थी।
7. युनिवर्सल एग्रो कॉरपोरेशन लि० द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र (Performance Certificate) निर्गत कार्यालय यथा-Managing Director, कार्यालय, दि झारखण्ड स्टेट आदिवासी को-ऑपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन लि० (वेजफेड), राँची, अरसण्डे, बोड़ैया, कॉके, राँची 834006 को निविदाकार युनिवर्सल एग्रो कॉरपोरेशन लि० द्वारा समर्पित कार्यानुभव प्रमाण पत्र सत्यापित करने हेतु, निबंधित डाक से प्रेषित निगम के पत्र सं०-SE 78 दिनांक-03.04.2023 के साथ-साथ ई-मेल से अनुरोध किया गया।
8. निगम के उक्त अनुरोध के आलोक में प्रबंध निदेशक, बेजफेड, राँची, कार्यालय, दि झारखण्ड स्टेट आदिवासी को-ऑपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन लि० (वेजफेड), राँची, चतुर्थ तल, पशुपालन भवन, सिंह मोड़, हेसाग, हटिया, राँची 834003 ने दिनांक-20.04.2023 को अपराहन 02:02 बजे ई-मेल से भेजे गये पत्रांक-181/वेजफेड, राँची दिनांक-20.04.2023 के द्वारा सूचित किया कि "संवेदक-Universal Agro Corporation Ltd, Address-Shashi Place, Ramkrishna Nagar, Begusarai (Bihar)-851101 के सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में मांगी गई सूचना से संबंधित पत्र प्रबंध निदेशक, वेजफेड राँची कार्यालय से निर्गत नहीं है।"
9. उपर्युक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि युनिवर्सल एग्रो कॉरपोरेशन लि० एवं कंपनी के निदेशक श्री पंकज कुमार, पिता-श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, शशि पैलेस, रामकृष्णा नगर, हेमरा रोड़, वार्ड नं०-20, बेगूसराय, बिहार-851101, निदेशक श्रीमती वंदना कुमारी, पति- श्री पंकज कुमार, वार्ड नं०-02, सिंहमा डीह, सिंहमा बरारी, बेगूसराय, बिहार -851129, निदेशक-श्रीमती रश्मि कुमारी, पति-श्री दीपक कुमार, वार्ड नं०-02, सिंहमा डीह, सिंहमा बरारी, बेगूसराय, बिहार -851129, निदेशक-श्री पियुष कुमार, पिता-श्री संजीव कुमार सिंह, शशि पैलेस, हेमरा रोड़, बेगूसराय, बिहार-851101 के द्वारा आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। इस तरह युनिवर्सल एग्रो कॉरपोरेशन लि० एवं कंपनी के निदेशक श्री पंकज कुमार, श्रीमती वंदना कुमारी, श्रीमती रश्मि कुमारी, एवं श्री पियुष कुमार द्वारा जालसाजी एवम् अपराध किया गया है।
10. इस प्रकार युनिवर्सल एग्रो कॉरपोरेशन लि० एवं कंपनी के निदेशक श्री पंकज कुमार, पिता-श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, शशि पैलेस, रामकृष्णा नगर, हेमरा रोड़, वार्ड नं०-20, बेगूसराय, बिहार-851101, निदेशक श्रीमती वंदना कुमारी, पति- श्री पंकज कुमार, वार्ड नं०-02, सिंहमा डीह, सिंहमा बरारी, बेगूसराय, बिहार -851129, निदेशक-श्रीमती रश्मि कुमारी, पति-श्री दीपक कुमार, वार्ड नं०-02, सिंहमा डीह, सिंहमा बरारी, बेगूसराय, बिहार -851129, निदेशक- श्री पियुष कुमार, पिता-श्री संजीव कुमार सिंह, शशि पैलेस, हेमरा रोड़, बेगूसराय, बिहार-851101 के द्वारा जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-467, 468, 471, 420, 120बी एवं 511 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत प्राथमिकी दर्ज की गई तथा उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई।

11. तदोपरान्त युनिवर्सल एगो कॉरपोरेशन लि० एवं कंपनी के निदेशक श्री पंकज कुमार, पिता—श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, शशि पैलेस, रामकृष्णा नगर, हेमरा रोड़, वार्ड नं०—20, बेगूसराय, बिहार—851101, निदेशक श्रीमती वंदना कुमारी, पति— श्री पंकज कुमार, वार्ड नं०—02, सिहमा डीह, सिहमा बरारी, बेगूसराय, बिहार —851129, निदेशक—श्रीमती रश्मि कुमारी, पति—श्री दीपक कुमार, वार्ड नं०—02, सिहमा डीह, सिहमा बरारी, बेगूसराय, बिहार —851129, निदेशक— श्री पियुष कुमार, पिता—श्री संजीव कुमार सिंह, शशि पैलेस, हेमरा रोड़, बेगूसराय, बिहार—851101 के द्वारा जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका के तहत इस कार्यालय के पत्रांक एच०क्यू० 1875 दिनांक— 1.06.2023 द्वारा कारण पृच्छा की गयी क्यों नहीं उक्त आपराधिक षडयंत्र, जालसाजी एवं छल के आरोप में कार्य के निबंधन को निलंबित कर उसे काली सूची में डालने हेतु स्पष्टीकरण कि माँग किया गया।
12. कारण पृच्छा का जबाव समर्पित करने पत्र प्राप्ति से 07 दिन का समय दिया गया पर जबाव अप्राप्त है। किसी फर्म या व्यक्ति के द्वारा किया गया आपराधिक कृत के संबंध में आपराधिक कार्रवाई तथा जालसाजी या छलपूर्वक तथा गलत ढंग सं लाभ प्राप्त करने के प्रयास के विरुद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई अलग—अलग प्रावधानों के तहत अलग—अलग कार्रवाई करने का प्रावधान है। फर्म द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है इसीलिए बिहार निबंधन नियमावली 2007 के तहत कार्रवाई नहीं करने का कोई वैधानिक आधार नहीं बनता है।

अतः आपराधिक षडयंत्र के तहत जाली अनुभव प्रमाण पत्र निगम को समर्पित कर छल पूर्वक निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करने हेतु बिहार निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11(क) 7 के प्रावधानों के तहत युनिवर्सल एगो कॉरपोरेशन लि० कंपनी के निबंधन सं० प्रथम 5/2021 (कंपनी) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को कालीसूची में दर्ज किया जाता है।

ह०/
मुख्य अभियंता।

ज्ञापांक— पटना, दिनांक—...../...../2023
प्रतिलिपि— अधीक्षण अभियंता (मो०), अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल—01 एवं 02/ मुख्य लेखा पदाधिकारी/ कार्यपालक अभियंता, मोनेटरिंग, बी०ओ०क्यू० एवं गुण नियंत्रण/ मुख्य अभियंता के तकनीकी सचिव/ मुख्य अभियंता के निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना एवं सभी कार्यपालक अभियंता, पटना/राजगीर/मगध प्रमण्डल कैम्प डिहरी ओन सोन/ भागलपुर/ दरभंगा/ पूर्णियाँ/ मुजफ्फरपुर प्रमण्डल कैम्प हाजीपुर एवं कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल/
पुलिस महानिदेशक—सह—अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/
मुख्य अभियंता।

ज्ञापांक- H0 2203

पटना,

दिनांक- 22/06/2023

प्रतिलिपि- मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अधिकरण, पटना / मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना / प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना / मुख्य कार्यपालक अभियंता, बिहार ग्रामीण कार्य विकास अधिकरण, पटना / प्रबंध निदेशक बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

JP
21-6-23

मुख्य अभियंता।

Amay
21/06/2023